संख्या: 43/2016/2912/12-2-2016-15/2016

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2016

विषय: प्रदेश में स्थापित जन सेवा क्रेन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा कृषि विभाग की सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1171/12-2-2016 दिनांक 17 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषि विभाग की चयनित सेवाओं को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सम्मिलित किए जाने के लिए गए निर्णय के निमित्त 26 शासकीय सेवाओं की भॉति कृषि विभाग की सेवाओं को भी जन सामान्य को, जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी सुगमतापूर्वक आम जन-मानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु यूजर चार्जेज अंश का निर्धारण/विभाजन किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 को आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी नवीनतम शासनादेश संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34 आई0टी0/2010 दिनांक 04 फरवरी, 2016 के क्रम में निम्नानुसार यूजर चार्जेज अंश का पुनर्विभाजन किया जाता है:-

क्र0सं0	सेवा	यूजर चार्ज का अंश (रू0)				कुल यूजर चार्ज (रू0)
		एस0सी0ए0/ केन्द्र संचालक	संबंधित विभाग	डी0ई0जी0एस0/ लोकवाणी	सी0ई0जी0	
1	सेवाओं का नाम (जनपद बांदा को छोडकर)	06	05	07	02	20
2	सेवाओं का	07	05	06	02	20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	नाम (जनपद बांदा हेतु)					

3. ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं की संख्या बढाये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 17 मई, 2016 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4. अत: कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: 43/2016/2912(1) /12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गर्वेन्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. एस0आई0ओ0एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. हेड एस0 ई0 एम0 टी0, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।